रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224650
**CG-DL-E-22012021-224650**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग I—खण्ड 1**
**PART I—Section 1**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| **सं. 27]** | **नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942** |
| **No. 27]** | **NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942** |


**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**अधिसूचना**

**अंतिम जांच परिणाम**

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

**मामला सं. एमटीआर-11/2019**

**विषयः यूरोपीय संघ और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नायलॉन फिलामेंट यार्न" पर लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए मध्यावधि समीक्षा।**

**फा. सं. 7/30/2019-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>**

1. मैसर्स एक्वाफिल एसपीए (जिसे यहां आगे आवेदक कहा गया है) ने यूरोपीय संघ और वियतनाम (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट) (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में

पाटनरोधी शुल्क जांच में हटाए गए उत्पाद अर्थात बल्क कंटीन्यूअस फिलामेंट की परिभाषा में संशोधन करने और उत्पाद क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है। उपर्युक्त जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 06.08.2018 की अधिसूचना संख्या 14/33/2016-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे और केंद्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क दिनांक 05 अक्तूबर, 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत अधिसूचित करते हुए दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/30/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

3. आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति अथवा शुल्क दरों में किसी परिवर्तन के लिए अनुरोध नहीं किया है।

## ख. <u>प्रक्रिया</u>

4. इस विषयगत जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई हैः

I. प्राधिकारियों ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

II. प्राधिकारियों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सीमित मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/30/2019-डीजीटीआर जारी की।

III. प्राधिकारियों ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरूआत की सूचना देते हुए पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

IV. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

V. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 07 जनवरी, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार देने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद, यदि कोई प्रत्युत्तर है, तो उसे दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।

VI. मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई लिखित अनुरोध नहीं किए हैं।

VII. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 19 जनवरी, 2021 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे । कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

## ग. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. जिस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, वह नायलॉन का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न अथवा पॉलीमाइड्स है, यथा सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 में वर्गीकरणीय फ्लैट यार्न – ट्विस्टेड और/अथवा अनट्विस्टेड, क्रिम्प्ड यार्न, फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), फुली ऑरियंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ऑरियंटेड यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से ऑरियंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर यार्न -

ट्विस्टेड और/अथवा अनट्विस्टेड, और डायड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड अथवा केबिल्ड। इस उत्पाद में नायलॉन फिलामेंट यार्न की सभी किस्में अथवा पॉलीमाइड यार्न, यथा – फ्लैट/टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइड/सेमी-डल/फुल-डल (अथवा उसकी किस्में), ग्रे/कलर्ड/डाइड (अथवा उसकी किस्में), सिंगल/डबल/मल्टीपल/फोल्डेड/केबिल्ड (अथवा उसकी किस्में), चाहें किसी आकार में अथवा नहीं, शामिल हैं, परंतु उसमें नायलॉन का हाई टेनेसिटी यार्न शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से अलग किए गए सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न हैं जिनमें नायलॉन अथवा पॉलीमाइड्स और मोनो फिलामेंट यार्न, नायलॉन के हाई टेनासिटी यार्न, बीसीएफ (बल्क कन्टीन्युअस फिलामेंट) यार्न नहीं है। बीसीएफ यार्न क्रिम्प्ड फिलामेंट यार्न है जिसमें लगभग 4 सेंटी न्यूटन डेसीटेक्स की उच्च तननशीलता और उच्च डेनीरेज (लगभग 650 से 1650 डेसीटेक्स) है तथा सामान्यतः उसका प्रयोग कारपेट निर्माण में किया जाता है।

**घ. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

6. घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**ङ. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**च. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने उस "बीसीएफ" के विवरण/गुणधर्मों में संशोधन की मांग की है जिसे मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया था।

9. प्राधिकारी ने पूर्व में दिनांक 06 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/23/2016-डीजीएडी द्वारा आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 05 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे। उसके बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/30/2019-डीजीटीआर द्वारा वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की।

10. वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाए गए, एचएस कोड 5402 के तहत आने वाले "बीसीएफ" यार्न की परिभाषा में संशोधन तक सीमित है।

11. दिनांक 31 जनवरी, 2020 की जांच की शुरूआत की सूचना के पैरा 5 के अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित आधार पर समीक्षा की मांग की है:

- आवेदक के पास अब 1650 डेसीटेक्स से अधिक 10000 डेसीटेक्स तक के डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न के विनिर्माण की क्षमता है। अधिक डेनरेज वाले बीसीएफ का निर्यात मूल जांच की जांचावधि के बाद की अवधि में शुरू किए जाने का दावा किया गया है।

- मूल जांच के समय घरेलू उद्योग अर्थात मैसर्स जेसीटी लिमिटेड, मैसर्स गुजरात पॉलीफिल्म्स प्रा. लि., मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लि., मैसर्स प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा. लि. और एवाईएम सिंटेक्स (पूर्व में वेल्सपन सिंटेक्स के रूप में ज्ञात) ने अनुरोध किया है कि वे बीसीएफ का विनिर्माण अथवा बिक्री नहीं करते।

- 10000 डेसीटेक्स तक के डेनरेज वाले बीसीएफ के विनिर्माण के लिए निवेश लागत अथवा उत्पादन लागत में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि वह विनिर्माण क्षमता हमेशा आवेदक के पास उपलब्ध रही है और ग्राहकों की मांग पर विद्यमान उत्पादन लाइनों से उसका उत्पादन किया जा सकता है।

12. प्राधिकारी ने यह पाया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच के संबंध में कोई अनुरोध अथवा आपत्ति नहीं की है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उल्लेख किया गया है कि उत्पाद बीसीएफ प्रमुख रूप से कारपेट विनिर्माण उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। आवेदक ने 05 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमा शुल्क में परिभाषित "बीसीएफ" शब्द की परिभाषा में निम्नलिखित रूप में संशोधन का अनुरोध किया है।

14. *बीसीएफ (बल्क कन्टीन्युअस फिलामेंट) यार्न जो कि एक क्रिम्प्ड नायलॉन फिलामेंट यार्न है जिसमें लगभग 4 सेंटी न्यूटन डेसीटेक्स की उच्च तननशीलता और उच्च डेनरेज (लगभग 650 से 1650 डेसीटेक्स) है तथा सामान्यतः उसका प्रयोग कारपेट निर्माण में किया जाता है।*

15. प्राधिकारी ने उत्पाद क्षेत्र तथा कारपेट विनिर्माण में बीसीएफ के अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी ब्यौरे समझने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना का डेस्क सत्यापन किया। उत्पाद विकास और परीक्षण प्रक्रिया तथा कारपेट विनिर्माण में बीसीएफ के डेनरेज की भूमिका और निष्पादन मानदंड भी नोट किए गए थे।

16. संशोधन की मांग करते समय आवेदक ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग बीसीएफ यार्न का उत्पादन नहीं करता और घरेलू आयातक उच्चतर लागत पर बीसीएफ यार्न खरीदने पर मजबूर हैं। घरेलू उद्योग ने आवेदक के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक मैसर्स एक्वाफिल एसपीए का मूल तर्क है कि बीसीएफ विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है, तथापि अधिसूचना में परिभाषितानुसार बीसीएफ के डेनरेज की रेंज में केवल एक निर्धारित रेंज का बीसीएफ शामिल है जबकि आवेदक उच्चतर डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न का भी उत्पादन करने में सक्षम है। अधिसूचना में निर्धारित रेंज में अब केवल 650 डेसीटेक्स से 1650 डेसीटेक्स के बीच डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न भी शामिल हैं।

18. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि आवेदक ने अपने अनुरोध में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसके पास हमेशा 1650 डेसीटेक्स से अधिक डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न का उत्पादन करने की क्षमता थी और वह भारत को छोड़कर अन्य देशों में अपने ग्राहकों को उस बीसीएफ यार्न की आपूर्ति करता रहा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध को भी नोट किया है कि उपर्युक्त बीसीएफ यार्न की उत्पादन लागत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि उच्चतर डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न का उत्पादन करने की विनिर्माण क्षमता पूर्व में भी विद्यमान थी।

19. आवेदक ने याचिका के साथ 11 फरवरी, 2019 का चार्टर्ड इंजीनियर से एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया है जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक के पास 1650 डेसीटेक्स से अधिक डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न का विनिर्माण करने की क्षमता है। आवेदक ने यह सिद्ध करने के लिए 1650 डेसीटेक्स से अधिक डेनरेज वाले बीसीएफ यार्न की बिक्री के लिए बिक्री बीजक भी दिए हैं कि वे उच्च डेनरेज वाले बीसीएफ का विनिर्माण कर रहे हैं।

20. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने बीसीएफ यार्न की परिभाषा में संशोधन के लिए आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में कोई चिंता प्रस्तुत नहीं की है।

21. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों और दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत विचार में औचित्य है क्योंकि 1650 डेसीटेक्स से अधिक डेनरेज में वृद्धि बीसीएफ यार्न की अनिवार्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं करती और यह उत्पाद बीसीएफ यार्न बना हुआ है। बीसीएफ यार्न के उत्पादन की पूरी रेंज का समाधान करने के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक और उपयुक्त है। बढ़ाए जाने के लिए निर्धारित रेंज अलग किए गए उत्पाद का भाग रहती है। अतः यह अधिसूचना अधिकतर स्पष्टीकरण की प्रकृति में है और इससे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उपायों के क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं होगा।

**छ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>**

22. आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

**ज. <u>सिफारिशें</u>**

23. प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोधों, की गई जांच और उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर, यह सिफारिश करते हैं कि बीसीएफ यार्न में डेनरेज 650 डेसीटेक्स से 10000 डेसीटेक्स को दिनांक 06 अगस्त, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2009-डीजीएडी द्वारा पूर्व में सिफारिश किए गए और दिनांक 06.09.2018 को 06.08.2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2016-डीजीएडी के शुद्धिपत्र और दिनांक 05.10.2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 50/2018 द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की परिधि और क्षेत्र से अलग किया है ।

24. तद्नुसार, प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि 06 अगस्त, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2009-डीजीएडी और दिनांक 06.09.2018 को जारी दिनांक 06.08.2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2016-डीजीएडी के शुद्धिपत्र और दिनांक 05.10.2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 50/2018 द्वारा शुल्क तालिका के तहत दी गई पाद टिप्पणी को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए।

"*नायलॉन का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न अथवा पॉलीमाइड्स है, यथा - सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 5402 के अंतर्गत अध्याय 54 में वर्गीकरणीय फ्लैट यार्न – ट्विस्टेड और/अथवा अनट्विस्टेड, क्रिम्प्ड यार्न, फुली ड्रॉन यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रॉन यार्न (एसडीवाई), फुली ऑरियंटेड यार्न (एफओवाई), हाई ऑरियंटेड यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से ऑरियंटेड यार्न (पीओवाई), टेक्सचर यार्न - ट्विस्टेड और/अथवा अनट्विस्टेड, और डायड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टीपल, फोल्डेड अथवा केबिल्ड। इस उत्पाद में नायलॉन फिलामेंट यार्न की सभी किस्में अथवा पॉलीमाइड यार्न, यथा – फ्लैट/टेक्सचर्ड/ट्विस्टेड, ब्राइड/सेमी-डल/फुल-डल (अथवा उसकी किस्में), ग्रे/कलर्ड/डाइड (अथवा उसकी किस्में), सिंगल/डबल/मल्टीपल/ फोल्डेड/केबिल्ड (अथवा उसकी किस्में), चाहें किसी आकार में अथवा नहीं, शामिल हैं, परंतु उसमें नायलॉन का हाई टेनेसिटी यार्न शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से अलग किए गए सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न हैं जिनमें नायलॉन अथवा पॉलीमाइड्स और मोनो फिलामेंट यार्न, नायलॉन के हाई टेनासिटी यार्न हैं।

बीसीएफ (बल्क कन्टीन्युअस फिलामेंट) यार्न क्रिम्प्ड नायलॉन फिलामेंट यार्न है जिसमें लगभग 4 सेंटी न्यूटन डेसीटेक्स की उच्च तननशीलता और उच्च डेनीरेज **(लगभग 650 डेसीटेक्स से 10000 डेसीटेक्स तक)** है तथा सामान्यतः उसका प्रयोग कारपेट निर्माण में किया जाता है।"

**झ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>**

25. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**NOTIFICATION**

**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 22nd January, 2021

**Case No. MTR-11/2019**

**Subject : Mid-Term Review to review the product scope of definitive Anti-Dumping duty imposed on 'Nylon Filament Yarn' originating in or exported from European Union and Vietnam.**

**F. No. 7/30/2019-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules), thereof;

**A. <u>BACKGROUND OF THE CASE</u>**

1. M/s. Aquafil SpA (hereinafter referred to as the 'Applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 , as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 , as amended from time to time (hereinafter

also referred to as the 'Rules') for initiation of limited mid-term review investigation to review the product scope and amend the definition of excluded product, that is, Bulk Continuous Filament in the antidumping duty investigation on imports of Nylon Filament Yarn (Multi Filament) (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or PUC ) originating or exported from the European Union and Vietnam (hereinafter also referred to as subject countries). Final Findings in the said investigation were issued vide Notification No. 14/33/2016-DGAD dated 06.08.2018 and anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Custom Notification No. 50/2018-Customs (ADD) dated 5th October, 2018.

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 7/30/2019-DGTR dated 31 January, 2020 notifying the initiation of Mid Term Review investigation.

3. The Applicant has not requested for either removal of Anti-Dumping Duty or any change in the duty rates.

**B. Procedure**

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to this subject investigation:

I. The Authorities notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

II. The Authorities issued the Notification No. 7/30/2019-DGTR dated 31 January 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating limited mid-term review investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.

III. The Authorities sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation.

IV. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

V. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held via Video Conferencing on 7th January, 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

VI. None of the interested parties attending the oral hearing has made any written submissions.

VII. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 19th January, 2021. No comments have been received from any interested party.

**C. Product under Consideration**

5. The product on which the anti-dumping measures is in force is Synthetic multi filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, crimped yarn, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within Chapter 54 under customs subheading no. 5402. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/ textured/ twisted/ untwisted, bright/semi-dull/full-dull (or variants thereof), grey/ colored/ dyed (or variants thereof), single/double/ multiple/folded/cabled (or variants thereof), whether or not sized, but

excludes high tenacity yarn of nylon. Specifically excluded from the scope of product under consideration are all man-made filament yarns not having Nylon or Polyamides and mono filament yarn, high tenacity yarn of nylon, BCF (Bulk Continuous Filament) yarn. BCF yarn is crimped nylon filament yarn which has high tenacity of approximately 4 centi newton decitex and high denierage (approx. 650 to 1650 decitex) and is normally used in carpet making.

**D. Submission made by domestic industry**

6. No submissions has been made by domestic industry.

**E. Submission made by other interested parties**

7. No submissions has been made by other interested parties.

**F. Examination by Authority**

8. The Authority notes that the applicant has sought amendment in the description /properties of 'BCF' which was excluded from the scope of the product under consideration in the original investigation.

9. The Authority had earlier recommended imposition of Anti-dumping duty (ADD) on imports vide Notification No. 14/33/2016-DGAD dated 6th August 2018. The Anti-dumping duties were imposed by Central Government vide Notification No. 50/2018 Customs (ADD) dated 5th October 2018. Thereafter, the Authority initiated the present mid-term review investigation vide Notification No.7/30/2019-DGTR dated 31st January 2020.

10. The present investigation is limited to amendment of definition of "BCF" yarn, falling under HS Code 5402, excluded from the scope of the product under consideration.

11. As per Para 5 of the notice of initiation dated 31st January 2020, the applicant has sought review on the following grounds:

    - The Applicant now has the capacity to manufacture the BCF yarn with denierage in excess of 1650 decitex up to 10,000 decitex. The export of BCF with higher denierage to India is claimed to have commenced during the period subsequent to the period of investigation of original investigation.
    - At the time of original investigation, the Domestic Industry i.e. M/s JCT Limited, M/s Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd, M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd., M/s Prafful Overseas Pvt. Ltd. & AYM Syntex (Formerly known as Welspun Syntex) had submitted that they do not manufacture or sell BCF.
    - There is no change in the cost of investment or cost of production for manufacturing BCF with denierage upto 10,000 decitex since such manufacturing capacity has always been available with the Applicant and same can be produced with the existing production lines on the demand of customers.

12. The authority has observed that none of the interested parties has made any submissions or objections to the present mid-term review investigation.

13. The Authority notes that it has been mentioned that the product, BCF, is used majorly in the carpet manufacturing industry. The applicant has requested for amendment in the definition of the term 'BCF' defined in the Notification No.50/2018-Customs (ADD) dated 5th October, 2018, as follows:

14. "*BCF (Bulk Continous Filament) Yarn ,which is a crimped nylon filament yarn which has high tenacity of approximately 4 centi newton decitex and high denierage (approx.. 650 to 1650 decitex) and is normally used in carpet making*."

15. The Authority conducted desk verification of the information submitted by the applicant to understand the product scope and application of BCF in carpet manufacturing and the related technical details. The product development and testing process and role of denierage of BCF in carpet manufacturing and performance parameters were also noted.

16. While seeking amendment the Applicant submitted that Domestic Industry does not produce BCF yarn and domestic importers are forced to buy BCF yarn at higher cost. The domestic industry has not made any objections to the claim of the applicant.

17. The Authority notes that the basic arguments of the applicant, M/s Aquafil SpA is that BCF is excluded from the scope of PUC, however the range of denierage of BCF as defined in the notification covers BCF of only a specified range while the applicant is capable of producing BCF yarn with higher denierage as well. Range specified in the notification covers as of now only BCF yarn with denierage between 650 decitex to 1650 decitex.

18. The Authority has further noted that the applicant in its submission has clearly mentioned that it always had the capacity to produce BCF yarn with denierage more than 1650 decitex and it has been supplying such BCF yarn to its customers in countries other than India. Further, the Authority has taken note of submission made by the applicant that there has not been any change in cost of production of the said BCF yarn since the manufacturing capacity to produce BCF yarn with higher denierage also existed in the past as well.

19. The Applicant has also submitted a certificate from Chartered Engineer dated 11th February 2019 along with the petition which certifies that the Applicant has capacity to manufacture BCF yarn with denierage more than 1650 decitex. The Applicant has also provided sale invoices for sale of BCF Yarn with denierage higher than 1650 decitex to establish that they are manufacturing such high denierage BCF yarn.

20. The Authority has noted that the domestic industry has not submitted any concerns on the submissions made by the applicant for amendment in the definition of BCF yarn.

21. On the basis of the submissions made and information furnished by the applicant, the Authority notes that there is merit in the view submitted by the applicant as the increase in denierage over 1650 decitex does not alter the essential characteristics of the BCF yarn and the product continues to be BCF yarn. The clarification is necessary and appropriate to address the full range of production of BCF yarn. The range determined to be extended remains part of the excluded product. Therefore, the modification is largely in the nature of clarification and would not amount to modification in the scope of measures attracting antidumping duty.

## G. POST DISCLOSURE COMMENTS

22. No comments have been received from Applicant or other interested parties.

## H. RECOMMENDATIONS

23. In view of the submissions made, investigation conducted, and facts established, the Authority recommends that the BCF yarn with denierage from 650 decitex to 10,000 decitex is excluded from the ambit and scope of the antidumping duty recommended earlier vide Final Findings Notification No.14/33/2009-DGAD dated 6th August, 2018 read with Corrigendum to Final Findings Notification no. 14/33/2016-DGAD dated 06.08.2018 issued on 06.09.2018 and imposed vide Customs Notification No.50/2018 dated 05.10.2018.

24. Accordingly, the Authority recommends that the footnote given under Duty Table vide Final Findings Notification No.14/33/2009-DGAD dated 6th August, 2018 and Corrigendum to Final Findings Notification No. 14/33/2016-DGAD dated 06.08.2018 issued on 06.09.2018 and imposed vide Customs Notification No.50/2018 dated 05.10.2018 may be read as following:

"*Synthetic multi filament yarns of nylon or polyamides such as flat yarn-twisted and/or untwisted, crimped yarn, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn-twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within chapter 54 under customs subheading No. 5402. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or polyamide yarn such as flat/ textured/ twisted/ bright/ semi-dull/ full dull (or variants thereof), grey/coloured/dyed (or variants thereof), single, double, multiple, folded or cabled (or variants thereof), whether or not sized, but excludes high tenacity yarn of nylon. Specifically excluded from the scope of product under consideration are all man-made filament yarns not having nylon or polyamides and mono filament yarn, high tenacity yarn of nylon.

BCF (Bulk Continous Filament) Yarn, which is a crimped nylon filament yarn which has high tenacity of approximately 4 centi newton decitex and high denierage **(approx. 650 decitex to 10,000 decitex)** and is normally used in carpet making.

## I. FURTHER PROCEDURE

25. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.01.22 21:57:28 +05'30'